

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (मुप-1) विभाग

क्रमांक: प.4(3)उद्योग / 1/2017

जयपुर, दिनांक 22 SEP 2023

लोक सूचना

ग्राम सामलपुरा, श्योरिंहपुरा, कन्देवली एवं शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में कॉनकोर द्वारा लॉजिस्टिक हब के विकास हेतु 116.3876 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा की गयी अनुशंसा तथा SIA रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर यह सुनिश्चित है कि:-

- i. प्रश्नगत अवाप्ति 116.3876 हैक्टेयर की प्रस्तावित की गई है, जो न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप है।
- ii. प्रश्नगत अवाप्ति से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है, इससे कम को विस्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।
- iii. प्रस्तावित भूमि अवाप्ति सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं लोकहित में है।
- iv. सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाधारों की तुलना में भविष्य में होने वाले सम्भाल्य फायदे बहुत अधिक हैं।
- v. ऐसा कोई पूर्व में अप्रयुक्त क्षेत्र पास में स्थित नहीं है।

अतः प्रश्नगत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुशंसा की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना को जिला कलक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (कॉनकोर), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना को कॉनकोर की वेबसाइट पर अपलोड करवाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण की जानकारी हेतु चर्चानगी एवं प्रचार-प्रसार करवाया जाये।
3. उपखण्ड अधिकारी, सांभर, जयपुर को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, फुलेरा, जयपुर।
5. ग्राम पंचायत, शार्दुलपुरा/चैनपुरा/खेडीराम, तहसील फुलेरा, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव